कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/1148/2024, लखनऊ दिनांक– 04.10.2024

संशोधित आदेश

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ –1, लखनऊ ने पत्र सं0 692/2024 दिनांक 04.10.2024 द्वारा अवगत कराया है कि मुख्यालय के आदेश सं0 1009/2024 दिनांक 02.09.2024 द्वारा दिनांक 07.10.2024 से 10.10.2024 तक फैजाबाद में युगल पीठ गठित की गई है किन्तु अपने पिताजी की अस्वस्थता के कारण सम्मिलित होने में असमर्थता व्यक्त की है।

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, लखनऊ द्वारा प्रेषित उक्त पत्र दिनांकित 04.10.2024 के अनुक्रम में, मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेश सं0 1009/2024 दिनांक 02.09.2024 द्वारा फैजाबाद के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 07.10.2024 से 10.10.2024 तक पूर्व गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/–04.10.2024
(रणधीर सिंह)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1 लखनऊ।

2– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–फैजाबाद।

3– मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।

4– संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,
निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशॉक–वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/1149/2024, लखनऊ ::दिनांक 04.10.2024

संशोधित आदेश

मुख्यालय के आदेश सं0 1009/20024 दिनांक 02.09.2024 द्वारा दिनांक 07.10.2024 से 10.10.2024 तक मेरी और सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2, लखनऊ की युगल पीठ गठित हुई है। दिनांक 07.10.2024 को अपरिहार्य परिस्थितियोंवश आकस्मिक अवकाश पर रहूँगा।

अतः दिनांक 07.10.2024 को गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/–04.10.2024
(रणधीर सिंह)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, 2 व 3 लखनऊ।
2– मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेव अधिकारी मुख्यालय।
3– संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,
निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।